International Journal of Sociology and Humanities
www.sociologyjournal.net
Online ISSN: 2664-8687, Print ISSN: 2664-8679
Received: 16-11-2021, Accepted: 17-12-2021, Published: 05-01-2022
Volume 4, Issue 1, 2022, Page No. 43-45

सतत ग्रामीण विकास एवं मनरेगा

डॉ. रामफूल जाट
सहायक आचार्य समाजशास्त्र, एस.पी.एन.के.एस. राजकीय महाविद्यालय, दौसा, राजस्थान, भारत

DOI: https://doi.org/10.33545/26648679.2022.v4.i1a.83

सारांश
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून वर्ष 2005 में लागू हुआ और प्रारम्भ में भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी में देश के सभी जिलों को इसमें शामिल कर लिया गया एवं अक्टूबर 2009 में इसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) कर दिया गया। अधिनियम के प्रावधानों में पंचायत राज संस्थाओं को कार्यक्रम लागू करने वाली मूल्य एजेन्सी माना गया है। इससे पंचायत राज संस्थाओं को यह महत्वपूर्ण अवसर मिला है कि वे अपने गांव की अधोसंरचना बदलने में और घोर गरीबी का समाधान करने में ग्रामीण स्तर की संस्थाओं की भूमिका प्रस्तुत करे। यह अध्ययन ग्रामीण इलाकों में आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने में मनरेगा योजना में हुए श्रेष्ठ प्रयासों, महत्वपूर्ण उपलब्धियों, चुनौतियों, बाधाओं एवं प्रभावों और इसके कारण ग्रामीण समाज में आये सामाजिक परिवर्तनों की समीक्षा करने का प्रयास है।

कूट शब्दः ग्रामीण विकास, सतत् विकास, श्रम, लाभ, रोजगार

प्रस्तावना

मनरेगा एक ऐसा कार्यक्रम है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का सतत विकास हुआ है और ग्रामीण आम आदमी पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा है। ग्रामीणों को सौ दिन तक का रोजगार उपलब्ध हुआ है तथा शहरी पलायन पर भी रोक लगी है। मनरेगा ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था विकास में महत्वपूर्ण काम किया है। इसने आर्थिक परेशानी के समय ग्रामीणों एवं श्रमिकों को बड़ी राहत पहुंचाई है और यह स्वतः ही रोजगार पैदा करने का माध्यम बन गया है। वास्तव में मनरेगा गरीबी निवारण एवं सतत ग्रामीण विकास की दिशा में एक सार्थक कदम है।

सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की बेरोजगारी दूर करने और ग्रामीण परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) योजना की शुरुआत की गई थी ताकि भूख, कुपोषण, स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का आसानी से सामना किया जा सके और ग्रामीण जनों को रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन नहीं करना पड़े। गांव के गरीब लोगों को रोजगार मिलने से उनकी आय में वृद्धि होगी और वे समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सकेंगे, साथ ही शहरों में भीड़–भाड़ से उत्पन्न आवास, बिजली, पानी और अन्य आधारभूत सुविधाओं की समस्या से भी निजात पा सकेंगे। इस योजना में महिलाओं के विकास एवं कार्य की प्राथमिकता को बिना भेदभाव के रखा गया है, जिससे उनमें रोजगार प्राप्ति की संभावना बढ़ी है, जो आर्थिक स्वतंत्रता एवं स्वावलंबन तथा महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक सार्थक कदम है। मनरेगा के अंतर्गत गांव में पंचायतों के माध्यम से कार्य मिलने पर जन उपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ है तथा एक समतापूर्ण सामाजिक व्यवस्था की शुरुआत हुई है, जिससे एक सफल श्रमिक जन आंदोलन को बल मिला है। श्रमिक अपने हितों की सुरक्षा कर पाने में सफल भी साबित हो रहे हैं, जबकि ग्रामीण रोजगार की दूसरी योजनाओं में प्रायः ऐसा संभव नहीं हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस योजना में विकास कार्यों की पुनरावृत्ति भी है ताकि एक बार कार्य करके उसको पुनः देखा व सम्हाला जा सके और उसके रखरखाव के कार्य को नियमित रूप से किए जा सकें। ग्रामीण बेरोजगार युवक खाली रहने से उनमें आलस्य, आपराधिक एवं नशे की प्रवृत्ति विकसित हो रही है, जबकि मनरेगा के अंतर्गत उन्हें काम मिलने पर उनकी इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगा है और ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था सामान्य हुई है।

मनरेगा ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण काम किया है। इसने आर्थिक संकट के समय ग्रामीणों एवं श्रमिकों को बड़ी राहत पहुंचाई है और यह स्वतः ही रोजगार पैदा करने का जरिया बन गया है। सूखे के समय काम की मांग बढ़ जाती है। भुगतान सीधे श्रमिक के बैंक या पोस्ट ऑफिस खाते में जमा होता है, इसलिए दूसरी कल्याणकारी योजनाओं की तुलना में इसमें गड़बड़ी की आशंका बहुत कम है। यह योजना भारत में व्यापक अर्थों में हो रहे बड़े सामाजिक परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण साधन साबित हो रही है। बड़ी संख्या में लोग कृषि से विनिर्माण या सेवा क्षेत्रों में जा रहे हैं या जाने को मजबूर हो रहे हैं। बहुत से लोग स्थायी रूप से काम न मिलने के कारण प्रतिवर्ष मौसमी पलायन करते थे। इसका अभिप्राय है कि जिन महीनों में शहरों में काम न हो उन महीनों में गांवों में काम उपलब्ध हो। इसके अलावा ऐसे लाखों मजदूरों के लिए जो गांव छोड़कर जाना नहीं चाहते, मनरेगा ने खेती के कम व्यस्त समय में रोजगार उपलब्ध कराया है। मनरेगा के अंतर्गत तालाबों और कुओं जैसे जलस्रोतों की खुदाई करने या फिर सड़कों के आसपास बेतरतीब जगहों को समतल करने जैसे कार्यों को शुरुआत में शामिल किया गया था, इसमें जल संरक्षण, सिंचाई की नहरों का निर्माण और रखरखाव, वनारोपण इत्यादि भी शामिल किए गए ताकि अकाल की आशंका को कम किया जा सके। इसमें जलस्रोतों का जीर्णोद्धार, जमीन को उपयोगी बनाना, सफाई से जुड़ा कार्य, ग्रामीण सड़क निर्माण, बाढ़ नियंत्रण, जलोत्सारण क्षेत्र का विकास और पेयजल का प्रबंधन करने जैसे कार्य भी शामिल हैं। विकल्पों की बड़ी सूची में से पंचायत के पास यह गुंजाइश होती है कि वह सबसे लोकप्रिय कार्य चुन ले, भले ही उसकी मांग कम क्यों न हो।

पंचायतों को ऐसे कार्यों की सूची बनानी चाहिए जिसकी गांव में बहुत सख्त जरूरत है और फिर उसके आधार पर मनरेगा के तहत कार्य का विभाजन किया जाए जिससे गांव का सतत विकास निरंतर रूप से किया जा सके। मनरेगा कोई खैराती कार्यक्रम नहीं है। इसमें काम के बदले भुगतान किया जाता है और पारिश्रमिक के रूप में बड़ी राशि खर्च की जाती है। हमें स्थायी और टिकाऊ तरह की उपयोगी आधारभूत संरचनात्मक संपत्ति के निर्माण में इसका लाभ उठाना चाहिए। मनरेगा कार्यक्रम में इस तरह और परिवर्तन लाए जाए जिससे यह सामाजिक न्याय का माध्यम भी बन सके।

मनरेगा एक ऐसा जन उपयोगी कार्यक्रम है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का सतत विकास हुआ है और आम जन पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा है। श्रमिकों को सौ दिन तक का रोजगार उपलब्ध हुआ है तथा शहरी पलायन पर भी रोक लगी है। मनरेगा के तहत अभी तक जो पूर्व निर्धारित काम कराए जाते थे उनमें ऐसा लगता था कि वे व्यर्थ हैं। जैसे कच्ची मिट्टी से संबंधित कार्य जो एक बरसात के अंदर ही समाप्त होते दिखाई देते हैं। ऐसे कार्यों से दोहरा नुकसान होता है। जो श्रमिक खेत में कार्यरत थे और कृषि उत्पादन कर रहे थे वे अब व्यर्थ के कामों में लगे दिखाई देते थे। मनरेगा के तहत किए गए कार्यों के अनुत्पादक होने का एक और प्रमाण अमेरिका की जॉर्ज वांशिगटन यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया एक अध्ययन भी है। इसमें पता चला है कि बिहार में मनरेगा से गरीबी में मात्र एक प्रतिशत की कमी आई है जबकि 12 प्रतिशत की कमी अपेक्षित थी। इसका कारण मनरेगा श्रमिकों का अनुत्पादक कार्यों में लगा होना पाया गया। मनरेगा की एक और समस्या प्रशासनिक जटिलता भी है। इस तरह सरकार के सामने दो समस्याएं खड़ी हैं। एक तरफ किसानों की आय को दोगुना करने का संकल्प है और दूसरी और मनरेगा की जटिलता एवं मनरेगा के तहत अनुपयोगी व्यर्थ के कामों से निजात पाने की चुनौती है। इस समस्या के हल के लिए सरकार ने बहुत ही सराहनीय एवं महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब तक मनरेगा में केवल सार्वजनिक कार्यों को करने की अनुमति थी जैसे सामूहिक उपयोग वाले तालाब को गहरा करना। अब सरकार ने व्यवस्था बनाई है कि मछली के तालाबों को गहरा करने, पशुओं के रहने के स्थान के ऊपर टीनशेड लगाने, कुओं को गहरा करने, शौचालय बनाने, इत्यादि व्यक्तिगत कार्यों के लिए भी मनरेगा के तहत काम किया जा सकेगा। इसका अर्थ है कि अपने खेत में मछली के तालाब को स्वयं गहरा करने के लिए वेतन मनरेगा द्वारा मिलेगा। इस बदलाव के पीछे मूल भावना एवं सोच यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोगी सार्वजनिक कार्य करने की एक सीमा है। मनरेगा में व्यर्थ के सार्वजनिक कार्य करने के स्थान पर किसानों को अपने खेत पर स्थायी कार्य करने की अनुमति दे दी जाए ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निरंतर सुधार हो सके। इसमें भी कोई संदेह नहीं कि व्यक्तिगत भूमि पर स्थायी कार्य करने की भी एक सीमा है। एक किसान स्थायी कार्यों को एक बार ही करेगा। इस प्रकार के कार्यों को प्रत्येक वर्ष नहीं किया जा सकता इसलिए मूल चिंतन सही दिशा में होते हुए भी इसे और आगे ले जाने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में सुझाव है कि मनरेगा के तहत खेती के सामान्य कार्यों फल वृक्षरोपण, जन संरक्षण, बागवानी को करने की भी छूट दे दी जाए। यदि किसान अपने खेत पर स्वयं कृषि कार्य करता है तो उसके लिए उसका और साथ ही खेत मजदूर का वेतन मनरेगा द्वारा दिया जाए।

देश में बहुत अधिक संख्या में ऐसे कृषि मजदूर हैं जिनके पास स्वयं की जमीन नहीं है। ऐसे कृषि मजदूरों के लिए मनरेगा के अंतर्गत छूट दी जानी चाहिए कि वे यदि दूसरे किसान के खेत में मजदूरी का कार्य करें तो उसका भुगतान मनरेगा एवं किसान दोनों द्वारा समान अनुपात में किया जाएगा। ऐसा सुधार करने से अनेक लाभ प्राप्त होंगे। पहला तो यह कि किसानों की आय में निश्चित रूप से इजाफा होगा। दूसरा, देश का मानव संसाधन व्यर्थ के कार्यों को करने के स्थान पर कृषि कार्यों में लगेगा। परिणामस्वरूप कृषि लाभप्रद हो जाएगी और श्रमिकों के पलायन में भी कमी आएगी। तीसरा, न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने से अन्न के अधिक भंडारण की समस्या से निजात मिलेगी। अतः सरकार को चाहिए कि मनरेगा के अंतर्गत खेती के सामान्य कार्यों को भी शामिल करने की व्यवस्था करे तभी ग्रामीण क्षेत्रों का सतत विकास संभव हो पाएगा। इससे मनरेगा कार्यक्रम कहीं और अधिक प्रभावी बनेगा।

वास्तव में मनरेगा गरीबी निवारण एवं सतत ग्रामीण विकास की दिशा में एक सार्थक उपयोगी प्रयास है। सरकार ने अपनी भूमिका को परिवर्तित कर स्वयं को मददगार के रूप में प्रस्तुत किया है। मनरेगा इतनी वृहद योजना है कि इससे आज अधिकांश ग्रामीण परिवार लाभार्थी के रूप में जुड़ चुके हैं। इस योजना से ग्रामीणों में जनचेतना विकसित हुई है, सामूहिक सौदेबाजी बढ़ी है और उनके शोषण पर रोक लगी है। सरकार के सम्मुख निश्चय ही यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसको पूरा करने के लिए सरकार को सकल घरेलू उत्पाद में से और अधिक अतिरिक्त व्यय करना पड़ सकता है।

अपेक्षा है कि सरकार अपने इस चुनौतीपूर्ण कार्य में खरी उतरेगी और भ्रष्टाचार तथा अन्य समस्याओं से निपटने में सक्षम होगी। मनरेगा से गरीब ग्रामीण जनता एवं श्रमिकों को पूर्ण लाभ प्राप्त होगा तथा सामाजिक समतापूर्ण समाज का सृजन हो सकेगा। यदि सरकार मनरेगा के अंतर्गत कृषि कार्यों को पूर्ण मान्यता प्रदान करती है तो आने वाले समय में गरीबों के लिए निश्चय ही यह योजना आमूलचूल परिवर्तनकारी साबित होगी और रोजगार प्राप्ति एवं सतत् विकास का सशक्त माध्यम बनेगी। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्र में हो रहे सतत ग्रामीण विकास को गति मिलेगी, जोकि वर्तमान की अति महत्वपूर्ण आवश्यकता है। मनरेगा ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन में सकारात्मक भूमिका निभायेगी।

मनरेगा के तहत किए गए महत्वपूर्ण कार्य

जनोपयोगी संसाधन का निर्माण मनरेगा का अहम उद्देश्य है। बेशक शुरुआती वर्षों में इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, फिर भी मनरेगा के तहत कुछ संसाधन जरूर विकसित किए गए हैं। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में लोगों के खेत के बीचोंबीच मनरेगा योजना के अंतर्गत नाली खोदी गई, जिससे अब वही खेत पानी में नहीं डूबते और वहां भरपूर सब्जियों की खेती होती है। ऐसे ही राजस्थान के बूंदी में नहरें तो हैं लेकिन उनकी कभी सफाई नहीं हुई, जिससे पानी का बहाव रूक जाता है, उस क्षेत्र के गांवों के बीच हर साल पानी को लेकर लड़ाई होती है और यह मामला जिला प्रशासन व पुलिस तक भी पहुंच जाता है। मनरेगा योजना के अंतर्गत नहरों की सफाई की गई जिससे कृषि उत्पादन बढ़ा, झगड़े कम हुए, तथा प्रशासन को भी राहत मिली। गांव के लोग जिनके लिए कच्ची सड़कों का काफी महत्व है, वे मनरेगा से बनी ऐसी सड़कों को तवज्जो देते हैं। जहां मृतकों का अंतिम संस्कार मुश्किल था, अब वहां बीमार व्यक्ति को साईकिल या मोटरसाईकिल पर बैठाकर अस्पताल ले जाया जा सकता है। सार्वजनिक रास्ता बन जाने से दलित समुदाय

को भी राहत मिली है क्योंकि सड़क का अधिकार भी झगड़े का मुद्दा बनता था। सुंदरवन में मिट्टी कार्य से लोगों की जानें बचाने का कार्य हुआ है। तटबंध के कार्यों से बाढ़ और वर्षा का पानी बस्तियों में नहीं आता, इससे जानें भी बचेंगी और पर्यावरण भी। मनरेगा में चालीस प्रतिशत तक सामग्री पर खर्च का प्रावधान है। मछली पालने के लिए तालाब निर्माण ऐसे कार्य हैं जिनमें सामग्री पर भी खर्च हुआ है। साथ ही उनमें अंडे, मछलियों का भोजन, पानी, बिजली पर खर्च घटाकर लाखों रुपये का मुनाफा हो रहा है। मनरेगा के जरिए वृक्षारोपण कार्य भी खूब हुए हैं। सड़कों के किनारे, जंगल और पंचायत की जमीन पर, सरकारी परिसरों में और निजी जमीन पर फलदार पेड़ लगाए गए हैं। बेशक मनरेगा के बहुत से काम विफल भी हुए हैं लेकिन इन उदाहरणों से पता चलता है कि तकनीकी समर्थन हो तो सामग्री के बिना भी इससे अच्छे संसाधन विकसित किए जा सकते हैं। कई जगह तो ग्राम पंचायतों में मनरेगा के जरिए ठोस कचरे का निष्पादन किया जाता है जो एक सराहनीय कदम है।

निष्कर्ष

मनरेगा को मुख्य रूप से ग्राम पंचायत द्वारा लागु किया जाता है। ठेकेदारों की भागीदारी प्रतिबंधित है, जल संचयन, सूखा राहत, बाढ़ नियंत्रण, आम कच्चे रास्तों का निर्माण, ग्रामीण आधारभूत संरचनात्मक संसाधनों का निर्माण बनाने जैसे श्रम गहन कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है। आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने ग्रामीण सम्पत्तियों को बनाने के साथ ही एन.आई.ई. जीए. पर्यावरण की रक्षा, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने, ग्रामीण शहरी प्रवास को कम करने और सामाजिक इक्विटी को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है।

सन्दर्भ सूची

1. http:/www.nrega.nic.in
2. snah, minir 2004, National Rual Employment Guarantee Act : A Historic opportunity:EPW, December 11, 2004
3. Lakshman, Nirmala 2006: Employment Guarantee – Signs of transformation; The Hindu
4. www.nrega.net/reports - resources
5. कुमार मुकेश (2014) महात्मा गांधी नरेगा का रोजगार तथा ग्रामीण विकास पर प्रभाव का एक अध्ययन – जे.ई.टी. आई.आर.
6. सेन अमर्त्य और द्रेज ज्यां (2019) भारत और उसके विरोधाभाष, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।
7. जालान विमल, भारत की अर्थ नीति, 21वीं सदी, राजकमल प्रकाशन प्रा. लि., नई दिल्ली 2003
8. सिन्हा, बी. (2013) महात्मा गांधी नरेगा के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों की संमरणीयता को बढ़ाने की गुंजाइश को पहचान करना। भोपाल; भारतीय वन प्रबंधन संस्थान।
9. मनरेगा समिक्षा – 2018 ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।